

पत्र संख्या-7/आ0रो0-30/ 2002का0 6770/
झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

श्री सुशील कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव
सभी विभागीय सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त

रॉंची, दिनांक-13 दिसम्बर 2002 ।

विषय: एक छोटे संवर्ग अर्थात 9 पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर ।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि छोटे संवर्ग में जिसमें 10 से कम पद हों, उसमें सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व एक साथ होना संभव नहीं है । राज्य सरकार ने इस बिन्दु पर सम्यक विचारोपरान्त ऐसे छोटे संवर्ग के लिए रोस्टर संचालन हेतु सर्वप्रथम एकल पद पर आरक्षण लागू नहीं होने संबंधी परिपत्र ज्ञाप संख्या-4423 दिनांक-05.08.2002 परिचारित किया है ।

इसके अतिरिक्त सरकार ने 2 से 9 पदों के लिए नियुक्ति एवं प्रोन्नति के संबंध में संलग्न परिशिष्ट "क" एवं "ख" के अनुरूप रोस्टर व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है ।

अनुरोध करना है कि जहाँ-कहीं भी संवर्ग का कुल पद 10 से कम हो वहाँ संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गई विधि से रोस्टर संचालित किया जाय ।

कृपया आवश्यकतानुसार इस परिपत्र में निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

Sushil Kumar Choudhary
13-12-2002
(सुशील कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/आ0रो0-30/ 2002का0 6770/ राँची, दिनांक-13 दिसम्बर 2002 ।

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय एवं सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Abulhas
13.12.2002

सरकार के सचिव ।

[Faint, mostly illegible text and stamps are present in the lower half of the page, including a circular stamp at the bottom center.]

09 पदों पर नियुक्ति हेतु आदर्श रोस्टर का संचालन

संवर्ग बल	प्रारंभिक नियुक्ति	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th
1.	UR	UR	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC
2.	UR	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-
3.	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-
4.	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-
5.	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-
6.	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-
7.	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-	-
8.	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-	-	-
9.	ST	SC	-	-	-	-	-	-	-	-

- नोट :- 1. 2 से 9 पदों के संवर्ग में रोस्टर हेतु संवर्ग बल के स्तम्भ में प्रविष्टि 1 से अन्त तक का पठन किया जाय एवं उसके पश्चात् क्षैतिज रूप से अन्त तक का पठन "L" की आकृति में किया जाय ।
2. संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक नियुक्ति के स्तम्भ में कोटि विशेष के लिए कर्णांकित किया जाय । प्रारंभिक भर्ती कोटि विशेष के लिए कर्णांकित उम्मीदवारों के लिए होगा एवं किसी पद का पुनर्स्थापन रोटेशन से यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप से संवर्ग में अंतिम पद तक किया जायेगा ।
3. अगर आरक्षित कोटा के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है तो संदर्भित रोटेशन में आरक्षण बिन्दु के पार जाकर कार्रवाई अनुमान्य होगी ।

UR- अनारक्षित

OBC – अन्य पिछड़ा वर्ग

SC- अनुसूचित जाति

ST- अनुसूचित जनजाति

प्रोन्नति के लिए 09 पदों पर आदर्श रोस्टर

संवर्ग बल	प्रारंभिक नियुक्ति	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th
1.	UR	UR	UR	ST	UR	UR	UR	ST	UR	SC
2.	UR	UR	ST	UR	UR	UR	ST	UR	SC	-
3.	UR	ST	UR	UR	UR	ST	UR	SC	-	-
4.	ST	UR	UR	UR	ST	UR	SC	-	-	-
5.	UR	UR	UR	ST	UR	SC	-	-	-	-
6.	UR	UR	ST	UR	SC	-	-	-	-	-
7.	UR	ST	UR	SC	-	-	-	-	-	-
8.	ST	UR	SC	-	-	-	-	-	-	-
9.	UR	SC	-	-	-	-	-	-	-	-

- नोट :- 1. 2 से 9 पदों के संवर्ग में रोस्टर हेतु संवर्ग बल के स्तम्भ में प्रविष्टि 1 से अन्त तक का पठन किया जाय एवं उसके पश्चात् क्षैतिज रूप से अन्त तक का पठन "L" की आकृति में किया जाय ।
2. संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक नियुक्ति के स्तम्भ में कोटि विशेष के लिए कर्णांकित किया जाय । प्रारंभिक भर्ती कोटि विशेष के लिए कर्णांकित उम्मीदवारों के लिए होगा एवं किसी पद का पुनर्स्थापन रोटेशन से यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप से संवर्ग में अंतिम पद तक किया जायेगा ।
3. अगर आरक्षित कोटा के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण हो जाता है तो संदर्भित रोटेशन में आरक्षण बिन्दु के पार जाकर कार्रवाई अनुमान्य होगी ।

UR- अनारक्षित

SC- अनुसूचित जाति

ST- अनुसूचित जनजाति

09 पदों पर नियुक्ति हेतु आदर्श रोस्टर का संचालन

संवर्ग बल	प्रारंभिक नियुक्ति	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th
1.	UR	UR	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC
2.	UR	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-
3.	UR	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-
4.	ST	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-
5.	UR	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-
6.	UR	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-
7.	UR	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-	-
8.	OBC	ST	SC	-	-	-	-	-	-	-
9.	ST	SC	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:- 1. For cadres of 2 to 9 posts the roster is to be read from entry 1 and column cadre strength till the last post and then horizontally till the last entry in the horizontal row i.e. like "L".

2. All the posts of a cadre are to be earmarked for the categories shown under column initial Appointment. While initial filling up will be by the earmarked category, the replacement against any of the post in the cadre shall be by rotation as shown horizontally against the last post of the cadre.

3. The relevant rotation by the indicated reserved category could be skipped over if it leads to more than 50% representation of reserved category.